न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 57 / 2023

कमला व अन्य बनाम भागू व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

समक्ष

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमती मोनिका जाखड आर०ए०एस०

उपस्थित :-

1. श्री अजीत सिंह राठौड — अभिभाषक वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार जैन — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3

आदेश

दिनांक 27 / 08 / 2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में निहित आराजी में से वादी ने खसरा नंबर 3302, 1700, 1697 / 4185 के संबंध में अनुतोष चाहा है। पूर्व आराजी खसरा नंबर 3003 व 3004 जिसके हाल खसरा नंबर 1700, 1647 / 4185 का भूमि रूपांतरण उक्त वाद प्रस्तुत करने से 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका था और आराजी का पट्टा नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 10.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 को निष्पादित किया जा चुका था अतः उपरोक्त भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि (वाणिज्यिक) भूमि हो चुकी है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। आराजी खसरा नंबर 1701, 1702 जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3002 का भी भूमि रूपांतरण वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका है। काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र वह भूमि जो कृषि प्रयोजन के तहत कार्य आती हो, उसी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। उपरोक्त आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वाद निरस्त फरमाया जाए।

उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अभिभाषक को दिलवाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.08.2024 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीयागण को अपने पिता छोगा पुत्र श्री सरूपा से विरासत में प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी आराजीयात है जन्म से ही हिस्सा निहित है। लेकिन राजस्व एजेंसी ने वारिसानों की पूर्ण जांच किए बिना मात्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम विरासत तस्दीक कर दी एवं पुत्रियों को छोड दिया। इसके पश्चात मूर्तिब समस्त राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां अंकित की गई हैं एवं उनके आधार पर रहन, बेचना, मुतंकिल व समस्त प्रकार के हस्तांरण कतई शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से एवं विरासत के आधार पर वादियागण का 1/8–1/8 हिस्सा निहित हो चुका था। जो आज दिनांक तक उनके द्वारा रहन, बेचान व मुतंकिल नहीं किया गया है तथा न ही रूपांतरण अथवा अकृषि प्रयोग किया गया है जिससे वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय मे निहित है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि अवैधानिक प्रविष्टि के आधार पर मुर्तिब तथा कथित अंकन एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक प्रविष्टि की आड़ में किए गए बेचान, रूपांतरण इत्यादि वादीयागण के हक, अधिकार एवं स्वतों पर बेअसर होकर निष्प्रभावी है। अतः गैर कानूनी तथ्यों पर आधारित होने के कारण जाकर प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर की गई बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में खसरा नंबर 1700, 1697 / 4185, 1701 व 1702 का कृषि भूमि से अकृषि भूमि के रूप मे भू–रूपांतरण हो चुका है। अतः वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं है एवं भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। जिसके कारण प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादीयागण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु०)
अजमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 57 / 2023

कमला व अन्य बनाम भागू व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

समक्ष

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

उपस्थित :-

1. श्री अजीत सिंह राठौड — अभिभाषक वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार जैन — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3

आदेश

दिनांक 27 / 08 / 2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में निहित आराजी में से वादी ने खसरा नंबर 3302, 1700, 1697 / 4185 के संबंध में अनुतोष चाहा है। पूर्व आराजी खसरा नंबर 3003 व 3004 जिसके हाल खसरा नंबर 1700, 1647 / 4185 का भूमि रूपांतरण उक्त वाद प्रस्तुत करने से 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका था और आराजी का पट्टा नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 10.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 को निष्पादित किया जा चुका था अतः उपरोक्त भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि (वाणिज्यिक) भूमि हो चुकी है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। आराजी खसरा नंबर 1701, 1702 जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3002 का भी भूमि रूपांतरण वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका है। काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र वह भूमि जो कृषि प्रयोजन के तहत कार्य आती हो, उसी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। उपरोक्त आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वाद निरस्त फरमाया जाए।

उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अभिभाषक को दिलवाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.08.2024 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीयागण को अपने पिता छोगा पुत्र श्री सरदारा से विरासत में प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी आराजीयात है जन्म से ही हिस्सा निहित है। लेकिन राजस्व एजेंसी ने वारिसानों की पूर्ण जांच किए बिना मात्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम विरासत तस्दीक कर दी एवं पुत्रियों को छोड दिया। इसके पश्चात मूर्तिब समस्त राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां अंकित की गई हैं एव उनके आधार पर रहन, बेचना, मुतंकिल व समस्त प्रकार के हस्तांरण कतई शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से एवं विरासत के आधार पर वादियागण का 1 / 8–1 / 8 हिस्सा निहित हो चुका था। जो आज दिनांक तक उनके द्वारा रहन, बेचान व मुतंकिल नहीं किया गया है तथा न ही रूपांतरण अथवा अकृषि प्रयोग किया गया है जिससे वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि अवैधानिक प्रविष्टि के आधार पर मुर्तिब तथा कथित अंकन एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक प्रविष्टि की आड मे किए गए बेचान, रूपातंरण इत्यादि वादीयागण के हक, अधिकार एव स्वतों पर बेअसर होकर निष्प्रभावी है। अतः गैर कानूनी तथ्यों पर आधारित होने के कारण जाकर प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर की गई बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात मे खसरा नबर 1700, 1697 / 4185, 1701 व 1702 का कृषि भूमि से अकृषि भूमि के रूप में भू–रूपांतरण हो चुका है। अतः वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं है एवं भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। जिसके कारण प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीयागण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

निर्णय आज दिनाक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलेक्टर (मुद्रांक) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

कमला व अन्य बनाम भागू ...

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

समक्ष

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

अभिभाषक वादीगण
अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3

सिंह राठौड़
कुमार जैन

दिनांक 27 / 08 / 2024

आदेश

... इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 13.06.2024
...र्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 13.06.2024 ... प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
...र्थना पत्र ... सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
अतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी ... के संबंध में अनुतोष चाहा
...स्त आराजी में से वादी ने खसरा नंबर 3302, 1700, 1697 / 4185 के संबंध में अनुतोष चाहा
...ी खसरा नंबर 3003 व 3004 जिसके हाल खसरा नंबर 1700, 1647 / 4185 का भूमि
... वाद प्रस्तुत करने से 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका था और आराजी का पट्टा नगर सुधार न्यास
...0.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 को निष्पादित किया जा चुका था अतः उपरोक्त भूमि कृषि
... अकृषि (वाणिज्यिक) भूमि हो चुकी है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। आराजी
...01, 1702 जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3002 का भी भूमि रूपांतरण वाद प्रस्तुत करने से
... है। काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र वह भूमि जो कृषि प्रयोजन के तहत कार्य आती
...नवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। उपरोक्त आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से
...त्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वाद निरस्त फरमाया जाए।
...त्र की प्रति वादी अभिभाषक को दिलवाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.08.2024
... का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीयागण को अपने
...श्री सरदारा से विरासत में प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी आराजीयात है जन्म से ही हिस्सा निहित
...स्व एजेंसी ने वारिसानों की पूर्ण जांच किए बिना मात्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम
... कर दी एवं पुत्रियों को छोड दिया। इसके पश्चात मूर्तिब समस्त राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण
... की गई है एवं उनके आधार पर रहन, बेचना, मुतंकिल व समस्त प्रकार के हस्तांरण कतई
... वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से एवं विरासत के आधार पर वादियागण का 1 / 8–1 / 8
... चुका था। जो आज दिनांक तक उनके द्वारा रहन, बेचान व मुतंकिल नहीं किया गया है
...तरण अथवा अकृषि प्रयोग किया गया है जिससे वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार
...य में निहित है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते है
...क प्रविष्टि के आधार पर मुर्तिब तथा कथित अंकन एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक
... में किए गए बेचान, रूपातंरण इत्यादि वादीयागण के हक, अधिकार एवं स्वत्वों पर बेअसर
... है। अतः गैर कानूनी तथ्यों पर आधारित होने के कारण जाकर प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त
...वाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र
... का आदेश प्रदान करावे।

...भाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर की गई बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड पत्रावली का
... के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित
...ात में खसरा नंबर 1700, 1697 / 4185, 1701 व 1702 का कृषि भूमि से अकृषि भूमि के
...रण हो चुका है। अतः वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं है एवं भूमि का उपयोग
... हो रहा है। जिसके कारण प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से
... द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार
...यागण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।
... दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 57 / 2023

कमला व अन्य बनाम भागु व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

समक्ष

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मोनिका जाखड आर०ए०एस०

उपस्थित :–

1. श्री अजीत सिह राठोड — अभिभाषक वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार जैन — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3

आदेश

दिनांक 27 / 08 / 2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र मे निहित आराजी मे से वादी ने खसरा नंबर 3302, 1700, 1697 / 4185 के संबंध में अनुतोष चाहा है। पूर्व आराजी खसरा नंबर 3003 व 3004 जिसके हाल खसरा नंबर 1700, 1647 / 4185 का भूमि रूपांतरण उक्त वाद प्रस्तुत करने से 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका था और आराजी का पट्टा नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 10.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 को निष्पादित किया जा चुका था अतः उपरोक्त भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि (वाणिज्यिक) भूमि हो चुकी है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। आराजी खसरा नंबर 1701, 1702 जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3002 का भी भूमि रूपांतरण वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका है। काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र वह भूमि जो कृषि प्रयोजन के तहत कार्य आती हो, उसी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। उपरोक्त आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वाद निरस्त फरमाया जाए।

उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अभिभाषक को दिलवाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.08.2024 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीयागण को अपने पिता छोगा पुत्र श्री सरदारा से विरासत में प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी आराजीयात है जन्म से ही हिस्सा निहित है। लेकिन राजस्व एजेंसी ने वारिसानों की पूर्ण जांच किए बिना मात्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम विरासत तस्दीक कर दी एव पुत्रियों को छोड दिया। इसके पश्चात मूर्तिव समस्त राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियॉं अंकित की गई हैं एव उनके आधार पर रहन, बेचना, मुतंकिल व समस्त प्रकार के हस्तांरण कतई शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से एवं विरासत के आधार पर वादियागण का 1 / 8–1 / 8 हिस्सा निहित हो चुका था। जो आज दिनांक तक उनके द्वारा रहन, बेचान व मुतंकिल नहीं किया गया है तथा न ही रूपातरण अथवा अकृषि प्रयोग किया गया है जिससे वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि अवैधानिक प्रविष्टि के आधार पर मुर्तिव तथा कथित अंकन एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक प्रविष्टि की आड़ में किए गए बेचान, रूपातंरण इत्यादि वादीयागण के हक, अधिकार एवं स्वतों पर बेअसर होकर निष्प्रभावी है। अतः गैर कानूनी तथ्यों पर आधारित होने के कारण जाकर प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर की गई बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात मे खसरा नंबर 1700, 1697 / 4185, 1701 व 1702 का कृषि भूमि से अकृषि भूमि के रूप में भू–रूपांतरण हो चुका है। अतः वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं है एवं भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। जिसके कारण प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादीयागण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 57 / 2023

कमला व अन्य बनाम भागू व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

समक्ष

पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती मोनिका जाखड आर0ए0एस0

उपस्थित :—

1. श्री अजीत सिंह राठौड — अभिभाषक वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार जैन — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3

आदेश

दिनांक 27 / 08 / 2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में निहित आराजी में से वादी ने खसरा नंबर 3302, 1700, 1697 / 4185 के संबंध में अनुतोष चाहा है। पूर्व आराजी खसरा नंबर 3003 व 3004 जिसके हाल खसरा नंबर 1700, 1647 / 4185 का भूमि रूपांतरण उक्त वाद प्रस्तुत करने से 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका था और आराजी का पट्टा नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 10.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 को निष्पादित किया जा चुका था अतः उपरोक्त भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि (वाणिज्यिक) भूमि हो चुकी है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। आराजी खसरा नंबर 1701, 1702 जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3002 का भी भूमि रूपांतरण वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका है। काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र वह भूमि जो कृषि प्रयोजन के तहत कार्य आती हो, उसी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। उपरोक्त आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वाद निरस्त फरमाया जाए।

उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अभिभाषक को दिलवाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.08.2024 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीयागण को अपने पिता छोगा पुत्र श्री सरदारा से विरासत में प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी आराजीयात है जन्म से ही हिस्सा निहित है। लेकिन राजस्व एजेंसी ने वारिसानों की पूर्ण जांच किए बिना मात्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम विरासत तस्दीक कर दी एवं पुत्रियों को छोड दिया। इसके पश्चात मूर्तिब समस्त राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियॉ अंकित की गई हैं एवं उनके आधार पर रहन, बेचना, मुतंकिल व समस्त प्रकार के हस्तांरण कतई शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से एवं विरासत के आधार पर वादियागण का 1 / 8–1 / 8 हिस्सा निहित हो चुका था। जो आज दिनांक तक उनके द्वारा रहन, बेचान व मुतंकिल नहीं किया गया है तथा न ही रूपांतरण अथवा अकृषि प्रयोग किया गया है जिससे वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय म निहित है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि अवैधानिक प्रविष्टि के आधार पर मुर्तिब तथा कथित अंकन एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक प्रविष्टि की आड में किए गए बेचान, रूपातंरण इत्यादि वादीयागण के हक, अधिकार एवं स्वतों पर बेअसार होकर निष्प्रभावी है। अतः ैर कानूनो तथ्यों पर आधारित होने के कारण जाकर प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर की गई बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में खसरा नंबर 1700, 1697 / 4185, 1701 व 1702 का कृषि भूमि से अकृषि भूमि के रूप में भू–रूपांतरण हो चुका है। अतः वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं है एवं भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। जिसके कारण प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादीयागण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner